(141)

रजिस्ट्री सं० डीएल-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1997/अग्रहायण 28, 1919
No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1997/AGRAHAYAN 28, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 706(अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा, दमण और दीव विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1984 (1985 का गोवा, दमण ओर दीव अधिनियम सं. 15) का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को गोवा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. संपूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा निदेशित न हो,—

 (क) "सरकार" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा तथा ऐसे किसी वाक्य में, जिसमें ऐसा प्रतिस्थापन किया गया हो, ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी किए जाएंगे, जैसे व्याकरण के नियमों के अनुसार अपेक्षित हों;

 (ख) गोवा, दमण और दीव शब्दों, जो वे दीर्घ नाम, अधिनियमन सिद्धांत और संक्षिप्त नाम में आते हैं, उसके सिवाय, के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली" शब्द रखे जाएंगे;

 (ग) "राज्य" शब्द, जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 2 में,—

 (क) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

 "(च) "निदेशक" से इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है।"

 (ख) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

 "(1) "स्थानीय प्राधिकारी" से, दादरा और नागर हवेली विनियम, 1965(1965 का विनियम सं. 3) के अधीन गठित ग्राम पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में, संबंधित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;"

(ग) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(तत) "राजपत्र" से दादरा और नागर हवेली का राजपत्र अभिप्रेत है;"

(घ) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(थ)"सार्वजनिक परीक्षा" से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् या गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य ऐसे बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा अभिप्रेत है, जिसे प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।"

(ङ) खंड (प) को खंड (पप) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खंड से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(प) "सचिव, शिक्षा" इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को करने के लिए प्रशासक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;"

(च) खंड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(भ) "अधिकरण" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है।"

3. धारा 24 में,—

(i) उपधारा (2) के खंड (क), (च) और (छ) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखत खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) सचिव, शिक्षा, पदेन;"

"(च) संघ राज्यक्षेत्र में विधिघकला का प्रधानाचार्य;"

"(छ) संघ राज्यक्षेत्र की जिला पंचायत के दो सदस्य;"

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) सचिव, शिक्षा, सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा और उपधारा (2) के खंड (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) और (ञ) में निर्दिष्ट सदस्य प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।"

इस अधिसूचना द्वारा यथाउपांतरित इस अधिनियम का पाठ इस अधिसूचना के उपाबंध के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

उपाबंध

गोवा, दमण और दीव विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1984

(1984 का अधिनियम सं. 15)

संघ राज्यक्षेत्र गोवा, दमण और दीव में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिए और उससे संबद्ध या अनुषंगी मामलों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में गोवा, दमण और दीव की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ,—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित गोवा, दमण और दीव विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1984 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो प्रशासक अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में, इसके आरम्भ के प्रति किसी निर्देश से अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको वह उपबंध प्रवृत्त हुआ है ।

IndiaCode

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रशासक'' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ख) ''सलाहकार बोर्ड'' से इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''सहायता'' से प्रशासक या प्रशासक द्वारा अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय को दी गई सहायता अभिप्रेत है;

(घ) ''सहायता पानेवाले विद्यालय'' से वह मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय अभिप्रेत है, जो प्रशासक या प्रशासक द्वारा अभिहित किसी अन्य प्राधिकारी से सहायता प्राप्त कर रहा है;

(ङ) ''समुचित प्राधिकारी'' से प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) ''निदेशक'' से इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्रशासक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ''कर्मचारी'' से कोई अध्यापक अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में कार्य करने वाला प्रत्येक अन्य कर्मचारी भी है;

(ज) ''विद्यमान कर्मचारी'' से विद्यमान विद्यालय का ऐसा कर्मचारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के आरंभ से ठीक पहले ऐसे किसी विद्यालय में नियोजित है;

(झ) ''विद्यमान विद्यालय'' से इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है;

(ञ) ''सरकार'' से दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ट) ''विद्यालय का प्रधान'' से किसी विद्यालय का प्रधान शिक्षा अधिकारी अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से संबोधित किया जाए;

1965 का विनियम सं. 3

(ठ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 1965 के अधीन गठित ग्राम पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में, संबंधित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(ड) किसी विद्यालय के संबंध में, ''प्रबंधक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह जिस नाम से सम्बोधित किया जाएगा, जिसे, यथास्थिति, उस तारीख को, जिस तारीख को यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ है या धारा 6 के अधीन बनाई गई प्रबंध की स्कीम के अधीन उस विद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है ;

(ढ) ''प्रबंध समिति'' से उन व्यष्टियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसे किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय का प्रबंध सौंपा गया है;

(ण) ''अल्पसंख्यक'' से संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन विद्यालय स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार रखने वाले किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित या प्रशासित विद्यालय अभिप्रेत है;

(त) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(तत) ''राजपत्र'' से दादरा और नागर हवेली का राजपत्र अभिप्रेत है;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) '' प्राइवेट विद्यालय'' से वह विद्यालय अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, प्रशासक या केन्द्रीय सरकार या प्रशासक द्वारा अभिहित या प्रायोजित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं चलाया जाता है;

(ध) ''सार्वजनिक परीक्षा'' से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड , विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद या गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य ऐसे बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा अभिप्रेत है, जिसे प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;

(न) ''मान्यताप्राप्त विद्यालय'' से समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है;

(प) ''सचिव, शिक्षा '' से इस अधिनियम के अधीन कृत्य करने के लिए प्रशासक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(पप) ''विद्यालय'' के अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मध्यवर्ती माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है और इसके अंतर्गत कोई अन्य ऐसी संस्था भी है, जो शिक्षा प्रदान करती है या उपाधि के स्तर के नीचे का प्रशिक्षण देती है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी संस्था नहीं है, जो तकनीकी शिक्षा देती है;

(फ) "विद्यालय सम्पत्ति" से विद्यालय के स्वामित्व या कब्जे की सभी स्थावर और जंगम सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति में या से उद्भूत होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत भूमि, भवन और उसके अनुलग्नक, खेल के मैदान, छात्रावास, फर्नीचर, पुस्तकें, साधित्र, मानचित्र, उपस्कर, पात्र, नकदी, आरक्षित निधियां, विनिधान और बैंक जमा भी हैं;

(ब) "अध्यापक" के अन्तर्गत विद्यालय का प्रधान भी है;

(भ) "अधिकरण" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए प्रशासक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी भी है;

(म) "सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय" से ऐसा मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय अभिप्रेत है जिसे कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है;

(य) "संघ राज्यक्षेत्र" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।

अध्याय-2

विद्यालयों की स्थापना, मान्यता, उनका प्रबंध, संबद्ध किया जाना और उनको सहायता

3. सहायता न पाने वाले विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान विनिर्दिष्ट करने की प्रशासक की शक्ति.—प्रशासक, अधिसूचना द्वारा विद्यालयों के, चाहे मान्यताप्राप्त हों या नहीं, अध्यापकों के न्यूनतम वेतनमान विनिर्दिष्ट करेगा ।

4. प्रशासक की, विद्यालयों में शिक्षा को विनियमित करने की शक्ति.—

(1) प्रशासक संघ राज्यक्षेत्र के सभी विद्यालयों में इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार शिक्षा विनियमित कर सकता है ।

(2) प्रशासक इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए संघ राज्यक्षेत्र में कोई भी विद्यालय स्थापित कर सकता है या चला सकता है या किसी भी सोसाइटी या न्यास या स्थानीय प्राधिकारी को संघ राज्यक्षेत्र में कोई विद्यालय स्थापित करने या चलाने की अनुज्ञा दे सकता है ।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से और संविधान के अनुच्छेद 30, खंड (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ राज्यक्षेत्र में किसी नए विद्यालय की स्थापना या किसी विद्यमान विद्यालय में किसी कक्षा या कक्षा का अनुभाग का खोलना या किसी विद्यमान कक्षा या किसी विद्यमान कक्षा के किसी अनुभाग का बंद करना, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन होगा और किसी ऐसे विद्यालय या कक्षा या अनुभाग को जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार स्थापित या खोले नहीं गए हैं, समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी ।

5. विद्यालयों को मान्यता.—(1) समुचित प्राधिकारी विहित प्ररूप में और विहित रीति से उसे किए गए आवेदन पर किसी विद्यालय को मान्यता दे सकता है :

परन्तु किसी विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक कि .—

(क) उसके पास अपना वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए ऐसी निधि नहीं है, जिससे इसके कर्मचारियों को विहित किए गए अनुसार वेतन और भत्तों और अन्य फायदों का संदाय विनियमित किया जा सके;

(ख) उसके पास धारा 6 द्वारा यथाअपेक्षित प्रबंध की स्कीम नहीं है;

(ग) उसके पास अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, आयु और लिंग को ध्यान में रखते हुए स्थान और स्वच्छता संबंधी उपयुक्त या पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं;

(घ) उसमें अनुमोदित पाठ्यक्रम और अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है;

(ङ) उसमें विहित अर्हता वाले अध्यापक नहीं है;

(च) उसके पास शारीरिक शिक्षा, पुस्तकालय सेवा, प्रयोगशाला कार्य, कर्मशाला अध्यास या पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों के लिए विहित सुविधाएं नहीं हैं; और

(छ) वह यह वचन नहीं देता है कि वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन या अनुपालन करेगा।

(2) विद्यालय की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाएगा और उस पर उसके द्वारा विचार किया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर आवेदक को उस पर किए गए विनिश्चय की सूचना दी जाएगी, और जहां मान्यता नहीं दी जाती है, वहां उक्त कालावधि के भीतर आवेदक को ऐसी मान्यता न दिए जाने के कारण भी संसूचित किए जाएंगे।

(3) जहां किसी विद्यालय की प्रबंध समिति कपट से, दुर्व्यपदेशन या महत्वपूर्ण विशिष्टियां छिपाकर मान्यता प्राप्त करती है या जहां मान्यताप्राप्त करने के पश्चात् विद्यालय उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का अनुपालन करते रहने में असफल रहता है वहां, मान्यता देने वाला प्राधिकारी, विद्यालय की प्रबंध समिति को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन ऐसे विद्यालय को दी गई मान्यता वापस ले सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दी गई मान्यता के कारण किसी विद्यालय को सहायता प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

(5) प्रत्येक विद्यमान विद्यालय, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से सहायता प्राप्त कर रहा है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस धारा के अधीन मान्यता दी गई है और ऐसा प्रत्येक विद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन होगा:

परन्तु जहां ऐसा कोई विद्यालय उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता है वहां, विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा विद्यालय से आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कोई शर्त पूरी नहीं की जाती तो ऐसे विद्यालय की मान्यता वापस ली जा सकती है:

परन्तु यह और कि जहां कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता है, वहां विहित प्राधिकारी आदेश द्वारा विद्यालय से उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी शर्तों को और ऐसी अन्य विहित शर्तों को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरा करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कोई शर्त पूरी नहीं की जाती है तो ऐसे विद्यालय की मान्यता वापस ली जा सकती है।

6. प्रबंध की स्कीम—

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय की प्रबंध समिति इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे विद्यालय के प्रबंध के लिए एक स्कीम बनाएगी:

परन्तु ऐसे किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय की दशा में जो कोई सहायता प्राप्त नहीं करता है प्रबंध की स्कीम ऐसे परिवर्तनों और उपांतरों के साथ लागू होगी, जो विहित किए जाएं।

7. मान्यताप्राप्त विद्यालय को सहायता—(1) धारा 2 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी विधि द्वारा इस निमित्त सम्यकतः विनियोजन किए जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए उसके पास उपलब्ध निधियों में से मान्यताप्राप्त विद्यालय को सहायता के रूप में ऐसी धनराशि दे सकता है, जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु कोई विद्यमान विद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व सहायता प्राप्त करता था ऐसी सहायता के लागू रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह ऐसी कालावधि के भीतर, जो पूर्वोक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट शर्तों और ऐसी सहायता दी जाने या लागू रखने से संबंधित इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता है।

(2) सहायता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी के अतिक्रमण के लिए सहायता बंद कर सकता है, घटा या निलंबित कर सकता है :

परन्तु कोई सहायता तब तक घटाई या निलंबित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रबंध मंडल को ऐसे बंद करने, घटाने या निलंबन के संबंध में हेतुक दर्शित करने का उपयुक्त अवसर न दिया गया हो।

(3) सहायता विद्यालय के खर्च के ऐसे भाग के बराबर हो सकती है जो विहित किया जाए।

(4) विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और भविष्य निधि के लिए दी गई सहायता में से किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई संदाय नहीं किया जाएगा।

(5) ऐसी विद्यालय जिसे मान्यता नहीं मिली है ऐसी कोई भी सहायता या कोई फायदा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जिसे धारा 2 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालय को उपलभ्य किया गया है।

8. संबद्ध किया जाना—(1) किसी सार्वजनिक परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसी परीक्षा का संचालन करने के लिए एक या अधिक बोर्ड या परिषद से संबद्ध किया जायेगा और वह बोर्ड या परिषद द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगा:

परन्तु कोई सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने वाला बोर्ड या परिषद किसी विद्यालय से तब तक संबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विद्यालय को इस अधिनियम के अधीन मान्यता न दे दी गई हो और ऐसी मान्यता प्रवर्तन में न हो।

(2) मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र ऐसे विद्यालयों के छात्रों के लिए आयोजित या किए गए सार्वजनिक परीक्षाओं और ऐसे अन्य प्रकार के मूल्यांकन के लिए तैयार और प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) उपधारा 2 में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय के विद्यार्थियों को—

(क) ऐसी सार्वजनिक परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा, जो निदेशालय या प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाए, या

(ख) वे ऐसे आंतरिक मूल्यांकन या निर्धारण के अध्ययधीन होंगे जो विहित किए जाएं।

अध्याय-3
विद्यालय की संपत्ति

9. विद्यालय की संपत्ति—(1) प्रत्येक सहायता पाने वाले विद्यालय का प्रबंध मंडल विहित प्ररूप में इसकी सम्पत्ति का उचित अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख को विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के समय निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।

(2) सहायता न पाने वाला कोई विद्यालय किसी संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा, यदि ऐसे अंतरण से धारा 5 के उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहायता पाने वाले विद्यालय की स्थावर या जंगम संपत्ति का, जो नियमों में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति नहीं है, कोई अंतरण, बंधक या पट्टा, समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां समुचित प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन को इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर नहीं निपटाता है या निपटाने में असफल रहता है वहां साठ दिन की उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह समझा जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है।

(4) उपधारा (3) उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा।

10. विद्यालय निधि और विद्यालय कर्मचारी लेखा निधि—

(1) प्रत्येक सहायता पाने वाले विद्यालय में क्रमशः "विद्यालय निधि" और "विद्यालय कर्मचारी लेखा निधि" के नाम से ज्ञात दो निधियाँ होंगी।

(2) विद्यालय निधि के खाते में,—

(क) धारा 7 के अधीन दी गई कोई सहायता (अनुरक्षण अनुदान से भिन्न);

(ख) विद्यालय को फीस से प्रोद्भूत होने वाली आय से भिन्न आय;

(ग) कोई अन्य अभिदाय, विन्यास और वैसी ही राशियां, जमा की जाएंगी।

(3) विद्यालय कर्मचारी लेखा निधि के खाते में,

(क) प्रशासक द्वारा अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई सहायता;

(ख) फीस के रूप में विद्यालय को प्रोद्भूत आय, जमा की जाएगी।

(4) विद्यालय निधि और सभी अन्य निधियों का, जिसके अंतर्गत प्रशासक के अनुमोदन से स्थापित विद्यार्थी निधि भी है, लेखा-जोखा और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।

(5) प्रत्येक सहायता न पाने वाले मान्यताप्राप्त विद्यालय में "सहायता न पाने वाले मान्यताप्राप्त विद्यालय निधि" के नाम से ज्ञात एक निधि होगी और उसके खाते में,—

(क) फीस और अन्य प्रभारों;

(ख) खंड (क) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रभारों और संदायों, जो विद्यालय द्वारा अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए वसूल किए जाएं; और

(ग) कोई अन्य अभिदाय, विन्यास, दान और वैसी ही राशियों, के रूप में विद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली आय जमा की जाएगी।

6. (क) सहायता न पाने वाले विद्यालयों द्वारा फीस या अन्य प्रभारों के रूप में व्युत्पन्न आय केवल ऐसे शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, उपयोग में लाई जाएगी; और

(ख) खंड (क) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विद्यालय द्वारा वसूल किए गए प्रभार और संदाय तथा प्राप्त किए गए सभी अन्य अभिदाय, विन्यास, दान केवल उसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाएंगे, जिसके लिए वे वसूल और प्राप्त किए गए थे।

(7) प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्राईवेट विद्यालय की प्रबंध समिति प्रत्येक वर्ष निदेशक के पास ऐसी सम्यकतः संपरीक्षित वित्तीय और/अन्य विवरणियां, जो विहित की जाएं, फाइल करेगी और ऐसी प्रत्येक विवरणी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाएगा, संपरीक्षित की जाएगी।

अध्याय-4

मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें

11. मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारिवों की सेवा के निबंधन और शर्तें.—(1) प्रशासक मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारिवों की भर्ती, भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकता है ;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी विद्यमान विद्यालय द्वारा नियोजित कर्मचारी का वेतन, छुट्टी, निवर्तन-आयु और पेंशन की बाबत अधिकार ऐसे कर्मचारी के लिए अहितकर रीति से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे ;

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के उन निबंधनों और शर्तों के लिए अपना विकल्प देने का हकदार होगा, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उसे लागू थे।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, किसी सहायता पाने वाले विद्यालय का कोई कर्मचारी, निदेशक के पूर्वानुमोदन के बिना पदच्युत नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या अवनत, अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा या उसकी सेवा अन्यथा समाप्त नहीं की जाएगी।

(2क) जहाँ किसी सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय की प्रबंध समिति का यह समाधान हो गया है कि सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध, धारा 12 के अधीन विहित आचरण संहिता के अर्थ के भीतर घोर अवचार के कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, वहाँ वह ऐसे कर्मचारी को पदच्युत, हटा या अवनत या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर सकती है या उसकी सेवा अन्यथा समाप्त कर सकती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर निदेशक को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना देगी।

(3) जहाँ किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय की प्रबंध समिति अपने कर्मचारियों में से किसी को निलंबित करना चाहती है, वहाँ निदेशक को ऐसे आशय की संसूचना दी जाएगी और ऐसा निलंबन तब के सिवाय जब कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात की गई या लंबित है और निदेशक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ;

परन्तु ऐसा निलंबन छह मास से अनधिक की अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, जो निदेशक के पूर्वानुमोदन से और ऐसे कारणों से, जो अध्यापक को सीधे आरोपित करते हैं और लेखबद्ध किए जाएंगे, एक समय में तीन मास की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है ;

परन्तु यह और कि प्रबंध समिति किसी कर्मचारी को तुरंत और निदेशक के पूर्वानुमोदन के बिना निलंबित कर सकती है । यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा तुरंत निलंबन कर्मचारी के धारा 12 के अधीन विहित आचरण संहिता के अर्थान्तरण, घोर अवचार या जहाँ नैतिक अधमता वाले किसी दांडिक अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है, के कारणों से आवश्यक है ;

परन्तु यह भी कि ऐसा तुरन्त निलंबन, निलंबन की तारीख से पंद्रह दिन की कालावधि के लिए तब तक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि उक्त कालावधि के समाप्त होने के पूर्व निदेशक को उसकी संसूचना न दे दी गई हो और उसने उसका अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) जहाँ निदेशक को किसी कर्मचारी को निलंबन करने या तुरंत निलम्बित के आशय की संसूचना दी जाती है, वहाँ, यदि दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे निलंबन के लिए पर्याप्त और उचित आधार है, तो वह ऐसे निलंबन को अपना अनुमोदन दे सकता है।

(4क) जहाँ किसी कर्मचारी को उपधारा (3) और उपधारा (4) या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में निलंबित किया गया है वहाँ निदेशक निलंबन के आदेश को वापस लेने का निदेश दे सकता है।

12. कर्मचारियों का आचरण संहिता द्वारा शासित होना :—

(1) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता द्वारा शासित होगा जो विहित की जाए और ऐसी आचरण संहिता के किसी उपबंध का अतिक्रमण करने पर कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, जो विहित की जाए।

(2) आचरण संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ यह विहित होगा कि कोई कर्मचारी,—

(क) कोई कर्मचारी अध्यापन या पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा नहीं करेगा ;

(ख) राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक, जातीय, कट्टरवादी दृष्टिकोण का प्रचार नहीं करेगा ;

(ग) विद्यार्थियों के बीच पक्षपात नहीं करेगा ;

(घ) परीक्षा से संबंधित कदाचारों में लिप्त नहीं होगा ;

(ङ) विद्यालय में उपस्थित होने में अनियमित नहीं रहेगा ;

(च) किसी स्रोत से लाभकारी स्वरूप की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा ;

(छ) कुंजियों या गाइडों के नाम से ज्ञात कोई पुस्तक तैयार या प्रकाशित नहीं करेगा ;

(ज) किसी प्रकाशन फर्म के विक्रय अभिकर्ता के रूप में स्वयं को व्यस्त नहीं करेगा ;

(झ) विद्यालय परिसर के भीतर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा या विद्यार्थियों को हिंसात्मक गतिविधियों में नहीं भड़कायेगा ;

(ञ) निदेशक की मंजूरी के बिना निधियाँ एकत्रित नहीं करेगा ;

(ट) विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के साथ धनीय संव्यवहार नहीं करेगा ।

13. कर्मचारियों के वेतन :—

(क) किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ते, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विहित प्रसुविधाएं उनसे कम नहीं होंगी, जो प्रशासक द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के तत्सम प्रास्थिति वाले कर्मचारियों की हैं ;

परन्तु जहां किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान,पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और विहित प्रसुविधाएं उनसे कम हैं,जो प्रशासक द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के तत्समय प्रास्थिति वाले कर्मचारियों की हैं, वहां निदेशक ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति को लिखित में निदेश देगा कि वह उन्हें प्रशासक द्वारा चालित विद्यालयों के तत्सम प्रास्थिति वाले कर्मचारियों के स्तर पर ला दे:

परन्तु यह और कि ऐसे निदेश के अनुपालन में असफलता को किसी विद्यमान विद्यालय की मान्यता को चालू रखने के लिए शर्तों का अननुपालन समझा जाएगा और तदनुसार, धारा 5 के उपबंध लागू होंगे ;

परन्तु यह भी कि प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय में, जो कोई सहायता नहीं प्राप्त कर रहा है "कर्मचारी सेवा निवृत्ति फायदा निधि" नाम से ज्ञात एक निधि होगी और उस निधि में सेवानिवृत्ति संबंधी फायदों के संबंध में विद्यालय और कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रत्येक अभिदाय को जमा किया जाएगा।

14. लोप किया गया।

अध्याय-5

सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू होने वाले उपबंध

15. भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं विहित करने की शक्ति:

प्रशासक सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उसके ढंग को विनियमित करने वाले नियम बना सकेगा ;

परन्तु किसी अर्हता में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे किसी सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय के किसी विद्यमान कर्मचारी का अहित हो।

16. आचरण संहिता विहित करने की शक्ति:

किसी सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यायल का प्रत्येक कर्मचारी ऐसे आचरण संहिता द्वारा शासित होगा, जो विहित की जाए।

17. सेवा-संविदा : प्रत्येक सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यायल की प्रबंध समिति ऐसे विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के साथ लिखित रूप में सेवा-संविदा करेगी ;

परन्तु यदि इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय के किसी विद्यमान कर्मचारी के संबंध में कोई लिखित सेवा-संविदा नहीं है तो ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति ऐसे प्रारंभ से तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसी संविदा करेगी:

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट कोई संविदा, किसी विद्यमान कर्मचारी और विद्यालय के बीच, इस अधिनियम के प्रारंभ पर अस्तित्वशील किसी संविदा के निबंधन में ऐसा परिवर्तन नहीं करेगी, जिससे उस कर्मचारी का अहित हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सेवा-संविदा की एक प्रति संबद्ध सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा निदेशक को भेजी जाएगी,जो ऐसी प्रति पाकर उसे ऐसी रीति में रजिस्टर करेगा, जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सेवा-संविदा में निम्नलिखित बातों के लिए उपबंध होगा, अर्थात्:—

(क) कर्मचारी की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत वह वेतनमान और भत्ते भी हैं, जिनके वह हकदार होगा;

(ख) अनुपस्थिति छुट्टी, निवर्तन आयु, पेंशन और उपदान या पेंशन और उपदान के बदले अभिदायी भविष्य निधि और अन्य प्रसुविधाएं जिनका कर्मचारी हकदार होगा;

(ग) शास्तियों, जो किसी आचरण संहिता के अतिक्रमण या कर्मचारी द्वारा की गई संविदा के किसी निबंधन के भंग के लिए उस पर अधिरोपित की जा सकती हैं;

(घ) वह रीति, जिससे कर्मचारी के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जाएगी और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने से पूर्व किया जाएगा;

(ङ) कर्मचारी और प्रबंध समिति के बीच निम्नलिखित के संबंध में संविदा के किसी भंग से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का निपटारा, अर्थात्:

(i) वेतनमान और अन्य भत्ते;

(ii) अनुपस्थिति छुट्टी, निवर्तन आयु, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य प्रसुविधाएं;

(iii) ऐसी कोई अनुशासनिक कार्यवाही जिसका परिणाम कर्मचारी को पदच्युत करना या उसे सेवा से हटाना या पंक्तिच्युत करना या उस पर कोई अन्य दंड अधिरोपित करना हो;

(च) अन्य कोई बात, जो प्रबंध समिति की राय में संविदा में विनिर्दिष्ट होनी चाहिए या विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

अध्याय 6
विद्यालयों में प्रवेश और फीस

18. **मान्यताप्राप्त विद्यालयों में प्रवेश:**—(1) ऐसे बालक को जिसने इस वर्ष, जिसमें बालक का प्रवेश मांगा गया है, की पहली जून को या इससे पूर्व पाँच वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 या समतुल्य कक्षा में अथवा कक्षा 1 से उच्चतर किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(2) ऐसे छात्र को जो किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से उच्चतर किसी कक्षा में पहली बार प्रवेश मांग चाहता है, उस कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा यदि उसकी आयु में से उस कक्षा और कक्षा 1 या समतुल्य कक्षा के बीच प्रसामान्य विद्यालय अध्ययन के वर्षों की संख्या को घटाने से उसकी आयु पाँच वर्ष से कम होती हो।

(3) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में या उसकी किसी कक्षा में प्रवेश इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होगा।

19. **फीस और अन्य प्रभार:**—(1) प्रत्येक सहायता पाने वाला विद्यालय निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस, प्रभार या अन्य संदाय के सिवाय कोई फीस उद्गृहीत नहीं करेगा या कोई अन्य प्रभार संगृहीत नहीं करेगा और न कोई अन्य संदाय प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक सहायता पाने वाला विद्यालय जिसकी फीस या अन्य प्रभारों की दरें भिन्न हैं या जिसकी निधियां भिन्न हैं, ऐसी फीस उद्गृहीत करने या ऐसे प्रभार संगृहीत करने या ऐसी निधियां सृजित करने से पूर्व विहित प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त सहायता न पाने वाले विद्यालय का प्रबंधक प्रत्येक शिक्षा सत्र के प्रारम्भ से पूर्व निदेशक के पास आगामी शिक्षा सत्र के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्गृहीत की जाने वाली फीस और प्रभारों का पूरा विवरण फाइल करेगा और निदेशक के पूर्वानुमोदन के सिवाय ऐसा कोई विद्यालय उस शिक्षा सत्र के दौरान, उक्त विवरण में उसके प्रबन्धक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस से अधिक कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।

अध्याय 7
विद्यालयों का प्रबन्ध ग्रहण

20. **विद्यालयों का प्रबन्ध ग्रहण:**—(1) जब कभी प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय की, प्रबन्ध समिति या प्रबन्धक ने —

(i) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, या

(ii) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य या बाध्यता में से किसी का पालन करने में उपेक्षा की है, या

(iii) विद्यालय के कार्यकलाप का कुप्रबन्ध किया है या विद्यालय की किसी निधि में जमा किसी धन का दुर्विनियोग या दुरुपयोजन किया है, या

(iv) विद्यालय के कार्यकलाप का लोकहित के प्रतिकूल रीति से प्रबन्ध किया है, या

(v) धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार विद्यालय के कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा, पेंशन, उत्पादन, भविष्य निधि और अन्य विहित प्रसुविधाओं के अपने अंश का संदाय करने से लोप किया है या उसकी उपेक्षा की है; या

(vi) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या तदधीन जारी किए गए किसी आदेश, निदेश के उल्लंघन में विद्यालय या किसी कक्षा या विद्यालय के किसी भाग को बंद कर दिया है; या

(vii) विद्यालय चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए लिखित अभ्यावेदन किया है,

और यह कि लोक हित में या विद्यालय की शिक्षा के हित में या विद्यालय का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन है कि ऐसे विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण कर लिया जाए तो वह ऐसे विद्यालय की प्रबन्ध समिति या प्रबन्धक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे विद्यालय का प्रबन्ध ऐसी सीमित कालावधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, ग्रहण कर सकेगा :

परन्तु जहाँ किसी विद्यालय का प्रबन्ध तीन वर्ष या कम कालावधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है वहाँ यदि प्रशासक की यह राय है कि उस विद्यालय के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध उक्त सीमित कालावधि के अवसान के पश्चात् बना रहना चाहिए तो वह समय-समय पर ऐसे प्रबन्ध की एक समय में, एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो वह ठीक समझे, जारी रखने के लिए निदेश जारी कर सकेगा किन्तु वह कुल कालावधि जिसके लिए ऐसा प्रबन्ध ग्रहण किया गया है, किसी भी दशा में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन किसी विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण कर लिया जाता है तो ऐसे प्रबन्ध ग्रहण ठीक पूर्व ऐसे विद्यालय के प्रबन्ध का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति विद्यालय की सम्पत्ति का कब्जा प्रशासक को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, परिदत्त करेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् प्रशासक उस विद्यालय का प्रबन्धक, निदेशक अथवा निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय (जिसे इसमें पश्चात् यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत निकाय कहा गया है) की मार्फत उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिक्षकों और शर्तों और पारिश्रमिक पर करने की व्यवस्था कर सकता है।

(4) जहाँ किसी विद्यालय का प्रबन्ध उपधारा (1) के अधीन ग्रहण कर लिया गया है वहाँ ऐसे विद्यालय की प्रबन्ध समिति या प्रबन्धक, प्रबन्ध ग्रहण की तारीख से तीन मास के भीतर प्रशासक को अभ्यावेदन कर सकेगा जो प्रबन्ध समिति या प्रबन्धक द्वारा किए गए ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह ठीक समझे, जिनके अन्तर्गत प्रबन्ध के प्रत्यावर्तन का आदेश या उस कालावधि के बारे में कोई आदेश भी है जिसके दौरान ऐसे विद्यालय का प्रबन्ध प्रशासक में निहित बना रहेगा।

(5) जहाँ किसी विद्यालय का प्रबन्ध इस धारा के अधीन ग्रहण कर लिया गया है वहाँ प्रशासक उस विद्यालय के भवन के लिए ऐसा भाटक, जो देय हो, जैसा कि ऐसे विद्यालय के प्रबन्ध ग्रहण से ठीक पूर्व प्रबन्ध समिति या प्रबन्धक द्वारा संदत्त किया जा रहा था ऐसे व्यक्ति को संदत्त करेगा या करवाएगा जो उसे पाने का हकदार है।

(6) ऐसी कालावधि के दौरान जिसमें कोई विद्यालय प्राधिकृत अधिकारी के प्रबन्ध के अधीन रहता है,—

(क) उस विद्यालय के उन कर्मचारियों को जो इस तारीख से जिसको प्रबन्ध ग्रहण किया गया था, ठीक पूर्व नियोजन में थे, प्रशासक द्वारा अनुमोदित सेवा की शर्तों को उनको अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा ;

(ख) वे सभी शैक्षणिक सुविधाएं जो वह विद्यालय ऐसे प्रबन्ध ग्रहण से ठीक पहले प्रदान कर रहा था, प्रदत्त की जाती रहेंगी ;

(ग) विद्यालय निधि, विद्यालय कर्मचारिवृन्द लेखा निधि और विद्यार्थी निधि विद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय की जाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत निकाय को उपलभ्य बनी रहेगी; और

(घ) ऐसे विद्यालय की प्रबन्ध समिति के किसी अधिवेशन में पारित किसी संकल्प को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रशासक उसका अनुमोदन न कर दे।

(ङ) प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत निकाय को किसी बैंक में कोई खाता खोलने का अधिकार होगा या धारा 10 में निर्दिष्ट किसी निधि से धन निकालने का अधिकार होगा। ऐसे किसी व्यक्ति को जो उपधारा (1) के अधीन विद्यालय के प्रबन्ध ग्रहण की तारीख से पूर्व किसी समय विद्यालय के प्रबंध का भारसाधक का ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा।

(7) यदि किसी समय विद्यालय की प्रबन्ध समिति या प्रबन्धक के किसी आवेदन पर अथवा अन्यथा प्रशासक की यह प्रतीत होता है कि जिस प्रयोजन के लिए विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण किया गया था, वह पूर्ण हो गया है या किसी अन्य कारण से उसके द्वारा विद्यालय का प्रबन्ध किया जाते रहना आवश्यक नहीं है तो वह उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश को रद्द कर सकेगा और विद्यालय का प्रबन्ध उसकी प्रबंध समिति को प्रत्यावर्तित कर सकेगा और तब विद्यालय के नियंत्रण का प्रबन्ध, प्रबन्ध समिति में विनिहित होगा।

(8) जब कभी किसी विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण प्रशासक द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हो तो यह विधिपूर्ण होगा कि वह कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों, उपदान, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के संबंध में उस प्रशासक द्वारा चलाए जा रहे समरूप विद्यालयों के कर्मचारियों के समान स्तर पर उपबन्ध बनाए।

(9) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि या उस उपधारा के परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि की समाप्ति पर प्रबन्ध समिति उस विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण नहीं करती है तो प्रशासक उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्यालय के प्रबन्ध का भारसाधक बना रहेगा और वह एक सूचना द्वारा विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किए जाने की अपेक्षा करेगा। यदि प्रशासक को उक्त सूचना जारी किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह उस मास की समाप्ति के पश्चात् चौदह दिन के भीतर उस विद्यालय की प्रबन्ध समिति को रजिस्टीकृत डाक द्वारा दूसरा पत्र भेजेगा जिसमें पहले पत्र के प्रति निर्देश होगा और यह भी कथित होगा कि उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और यह कि यदि उसके जारी किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर दूसरे पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें विद्यालय के स्वामी या प्रबन्ध करने वाले सोसाइटी, न्यास या अन्य संगम को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा:

परन्तु यह कि राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष के भीतर किसी समय यदि विद्यालय का कोई वैध स्वामी विद्यालय और उसकी आस्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए आगे आता है तो प्रशासक उस विद्यालय को उसकी आस्तियों और दायित्वों सहित उस वैध स्वामी को अन्तरित कर देगा और तब वह विद्यालय, उसकी आस्तियां और दायित्व प्रशासन में विनिहित नहीं रहेंगी।

(10) जहां किसी सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण प्रशासक द्वारा किया जाता है वहां ऐसी सहायता अनुदत्त करने वाला प्राधिकारी उस विद्यालय को सहायता अनुदत्त करता रहेगा।

(11) जहां किसी विद्यालय का प्रबन्ध प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व ग्रहण किया गया हो और ऐसे प्रारम्भ पर वह प्रबन्ध बना रहा हो, और ऐसे विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रशासक से विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए कोई कदम न उठाया हो, वहां प्रशासक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वहऐसे विद्यालय का प्रबन्ध करता रहे और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञेय सहायता पूरी सीमा तक उस विद्यालय को अनुदत्त करता रहे।

21. गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को धारा 20 का लागू न होना—धारा 20 की कोई बात किसी गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय को लागू नहीं होगी।

अध्याय 8
अपील और अपराध

22. अपील—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध प्राधिकरण में अपील की जा सकेगी :

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन किसी विद्यालय को मान्यता देने से इंकार करना;

(ख) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी विद्यालय की मान्यता वापस लेना ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सहायता रोक देना, कम करना या निलम्बित कर देना ;

(घ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने से इंकार करना ;

(ङ) धारा 11 की, यथास्थिति उपधारा (2), (2क), (4) और (4क) के अधीन किसी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करना, हटाना या उसकी पंक्ति को घटाना या उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना या अन्यथा उसकी सेवाओं को समाप्त करना।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय के भीतर अपील करने से निवारित हुआ था तो उक्त तीस दिन की अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है।

(3) ऐसी कोई अपील प्राप्त होने पर, प्राधिकरण अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और जैसी वह उचित समझे, ऐसी जांच करने के पश्चात्, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, वैसा आदेश पारित करेगा।

23. अपराध और दंड—(1) यदि किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय का प्रबन्धक,—

(क) प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का, बिना किसी युक्तियुक्त प्रतिहेतु, पालन करने से लोप करता है या असफल रहता है, या

(ख) विद्यालय द्वारा किसी छात्र को, धारा 8 के उपबन्धों का पालन किए बिना किसी लोक परीक्षा में उपस्थित करवाता है या होने के लिए प्राधिकृत करता है ; या

(ग) प्रशासक या धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विद्यालय की कोई सम्पत्ति परिदत्त करने से लोप करता है या असफल रहता है ; या

(घ) अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है ; या

(ङ) किसी निरीक्षण प्राधिकारी को कोई जानकारी देने से लोप करता है या असफल रहता है अथवा उस प्राधिकारी को ऐसी जानकारी देता है जो तात्विक विशिष्टियों में गलत या मिथ्या है ; या

(च) निरीक्षण प्राधिकारी के पास कोई पुस्तक, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने से लोप करता है या असफल रहता है ; या

(छ) किसी निरीक्षण प्राधिकारी को विद्यालय के परिसरों में प्रवेश करने से या कोई निरीक्षण अथवा जांच करने से निवारित करता है तो उसे ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक विस्तारित हो सकती है अथवा ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक विस्तारित हो सकता है अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अभियोजन, निदेशक या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली शिकायत के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा।

IndiaCode

अध्याय 9

प्रकीर्ण

विद्यालय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

24. सलाहकार बोर्ड—(1) संघ राज्यक्षेत्र में शिक्षा संबंधी नीति विषयक मामलों पर प्रशासक को सलाह देने के प्रयोजन से दादरा और नागर हवेली विद्यालय शिक्षा बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सलाहकार बोर्ड कहा गया है) के नाम से ज्ञात एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाएगा।

(2) सलाहकार बोर्ड की संरचना निम्नलिखित होगी :—

(क) सचिव, शिक्षा, पदेन ;

(ख) मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के तीन व्यक्ति ;

(ग) मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों के संगठनों के तीन प्रतिनिधि ;

(घ) मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के प्रबन्धक तंत्रों के तीन प्रतिनिधि ;

(ङ) निदेशक, जो सलाहकार बोर्ड का सचिव होगा ;

(च) संघ राज्यक्षेत्र में पॉलीटेक्नीक का प्रधान ;

(छ) संघ राज्यक्षेत्र की जिला पंचायत से दो सदस्य ;

(ज) दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् ;

(झ) मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के छात्रों के माता-पिता या संरक्षकों के दो प्रतिनिधि

(ञ) मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के विद्यार्थियों के दो प्रतिनिधि।

(3) सचिव, शिक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा और उप धारा (2) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) और (ञ) में निर्दिष्ट सदस्य प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(4) सलाहकार बोर्ड स्वयं अपनी प्रक्रिया का विनियमन करेगा।

(5) सलाहकार बोर्ड के प्रत्येक सदस्य की पदावधि और उसको देय यात्रा और अन्य भत्ते वे होंगे जो विहित किए जाएं।

25. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) प्रशासक इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का या उनमें से किसी का प्रत्यायोजन निदेशक या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को कर सकेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है, उस शक्ति का प्रयोग उसी प्रकार से और उसी प्रभाव से कर सकेगा मानो उसे ऐसी शक्ति इस अधिनियम द्वारा सीधे न कि प्रत्योजन के रूप में, प्रदत्त की गई है।

26. विद्यालयों का निरीक्षण—(1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय का निरीक्षण हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) निदेशक किसी विद्यालय के कार्यकरण के ऐसे पहलुओं के, जो समय-समय पर उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, विशेष निरीक्षण का भी इंतजाम कर सकता है।

(3) निदेशक, प्रबन्धक को ऐसे निदेश दे सकता है जिसमें प्रबन्धक से यह अपेक्षा की जाए कि वह निरीक्षण के समय या अन्यथा विद्यालय के कार्यकरण में पाई गई किसी त्रुटि या कमी को दूर करे।

(4) यदि प्रबन्धक उपधारा (3) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निदेशक, प्रबन्धक द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह ठीक समझे, इसके अन्तर्गत—

(क) सहायता का बन्द किया जाना ;

(ख) मान्यता का वापस लिया जाना ; या

(ग) धारा 20 के अधीन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करना ;

जाता है।

27. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता न होगी, जिसके संबंध में प्रशासक या निदेशक या प्रशासक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियुक्त या विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकरी किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है और किसी ऐसी बात की बाबत जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की जाती है या किए जाने के लिए आशयित है, किसी सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेश न दिया जाएगा।

28. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक, निदेश अथवा प्रशासक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी।

29. नियम बनाने की शक्ति—प्रशासक, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिससे प्रशासक द्वारा संघ राज्यक्षेत्र में शिक्षा को विनियमित किया जा सकता है ;

(ख) वे शर्तें जिनका अनुपालन करने की प्रत्येक विद्यमान विद्यालय से अपेक्षा की जाएगी ;

(ग) नए विद्यालय की स्थापना या किसी विद्यमान विद्यालय में उच्चतर कक्षा का खोलना या किसी विद्यमान कक्षा का बंद करना ;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें किसी विद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन किया जाएगा ;

(ङ) वे सुविधाएं जिनकी व्यवस्था मान्यताप्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय द्वारा की जाएगी ;

(च) वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसको मान्यता देने से इंकार या उसके वापस लिए जाने के विरुद्ध अपील की जाएगी ;

(छ) कर्मचारियों के लिए निम्नतम अर्हताएं और उनकी भर्ती का ढंग तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(ज) वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(झ) विशिष्टियां, जो प्रबंध की किसी स्कीम में अंतर्विष्ट होंगी और वह रीति जिससे ऐसी स्कीम बनाई जाएगी ;

(ञ) वे परिवर्तन और उपांतर जो किसी ऐसे मान्यताप्राप्त विद्यालय के, जो किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता है, प्रबंध की स्कीम में किए जा सकेंगे ;

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन मान्यताप्राप्त विद्यालयों को सहायता दी जा सकती है और जिनके अतिक्रमण करने पर सहायता रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है या निलम्बित की जा सकती है;

(ठ) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय के व्यय का वह भाग जो सहायता द्वारा पूरा किया जाएगा ;

(ड) विद्यालय की सम्पत्ति की वे विशिष्टियां जो समुचित प्राधिकारी को दी जानी चाहिए ;

(ढ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके दौरान, विद्यालय की किसी सम्पत्ति के अंतरण, बंधक या धारणाधिकार के संबंध में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ;

(ण) कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता और उसके अतिक्रमण के लिए की जाने वाली कार्रवाई ;

(त) प्रसुविधाएं, जो मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के कर्मचारियों को दी जानी चाहिए।

(थ) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय में प्रवेश ;

(द) वे फीसें और अन्य प्रभार जो सहायता पाने वाले विद्यालयों द्वारा संगृहीत किए जाएंगे ;

(ध) मान्यताप्राप्त विद्यालयों के निरीक्षण की रीति ;

(न) सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनको देय यात्रा तथा अन्य भत्ते ;

(प) मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा वित्तीय और अन्य विवरणियों का फाइल किया जाना तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी विवरणियों की संपरीक्षा की जाएगी ;

(फ) वे शैक्षणिक प्रयोजन जिनके लिए सहायता न पाने वाले मान्यताप्राप्त विद्यालयों द्वारा फीस के रूप में व्युत्पन्न आय, खर्च की जाएगी ;

(ब) विद्यालय निधियों तथा किसी मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालय की अन्य निधियों का लेखा-जोखा रखने और उनके संचालन की रीति ;

(भ) इस अधिनियम के अधीन कोई अपील करने के लिए फीस, जो एक रुपए से अनाधिक होगी ;

(म) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी है या की जा सकती है।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो शासक ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकता है ;

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/4/93-यूटीएल (187)]
पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1997

G.S.R. 706(E).— In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu School Education Act, 1984 (Goa, Daman and Diu Act 15 of 1985), as in force in the State of Goa, at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:-

Modifications

1. Throughout the Act, unless otherwise directed, --

(a) for the word "Government", wherever it occurs, the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which such substitution is made such consequencial changes as the rules of grammar may require;

(b) for the words "Goa, Daman and Diu", except where they occur in the long title, enacting formula and short title, the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted;

(c) for the word "State", wherever it occurs, the words "Union territory" shall be substituted.

2. In section 2, -

(a) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

"(f) "Director" means the Officer authorised by the Administrator to perform all or any of the functions of the Director under this Act.

(b) for clause (1), the following shall be substituted, namely:-

"(l) "Local authority" means in relation to an area within the local limits of a Village Panchayat constituted under the Dadra and Nagar Haveli Panchayat Regulation, 1965, the Village Panchayat concerned;"

REGN. NO. 3 OF 1965

(c) after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:-

"(pp) "Official Gazette" means the Dadra and Nagar Haveli Gazette;"

(d) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

"(s) "public examination" means an examination conducted by the Central Board of Secondary Education Council for School Certificate Examinations or the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education or any other Board recognised by the Administrator or any other officer authorised by him in this behalf.";

(e) clause (u) shall be re-numbered as clause (uu) and before the clause as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(u) "Secretary, Education" means an officer authorised by the Administrator to perform function under this Act;"

(f) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:-

"(x) "Tribunal" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and includes any other officer authorised by him to perform all or any of the functions of the Tribunal under this Act."

In section 24, -

(i) for clause (a), (f) and (g) of sub-section (2), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

"'(a) the Secretary Education, ex-officio;'

'(f) the Principal of the Polytechnic in the Union territory;'

'(g) two members of the District Panchayat of the Union territory;'"

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The Secretary, Education shall be the Chairman of the Advisory Board and the Members referred to in clause (b), (c), (d), (h), (i) and (j) of sub-section (2) shall be nominated by the Administrator."

The text of this Act, as modified by this Notification, is published as Annexure to the Notification.

ANNEXURE

The Goa, Daman and Diu School Education Act, 1984
(Act No.15 of 1985)

AN
ACT

to provide for better organisation and development of School Education in the Union Territory of Goa, Daman and Diu and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa,, Daman and Diu in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. -

(1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu School Education Act, 1984, as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act, and any reference to the commencement of this Act, in relation to any provision thereof shall be construed as a reference to the date on which that provision comes into force.

2. *Definitions.*- In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(b) "Advisory Board" means the Board as constituted under Section 24 of this Act;

(c) "aid" means any aid granted to a recognised school by the Administrator, or any other authority designated by the Administrator;

(d) "aided school" means a recognised private school which is receiving aid from the Administrator or any other authority designated by the Administrator;

(e) "appropriate authority" means the Administrator or any other officer authorised by him in this behalf;

(f) "Director" means the officer authorised by the Administrator to perform all or any of the functions of the Director under this Act;

(g) "employee" means a teacher and includes every other employee working in a recognised school;

(h) "existing employee" means an employee of an existing school who is employed in such a school immediately before the commencement of this Act;

(i) "existing school" means a recognised school which is in existence at the commencement of this Act;

(j) "Government" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

(k) "Head of School" means the principal academic officer, by whatever name called, of a recognised school;

(l) "local authority" means in relation to an area within the local limits of a village panchayat constituted under the Dadra and Nagar Haveli ——— Panchayat Regulation, 1965 the village panchayat concerned;

(m) "manager" in relatin to a school, means the person by whatever name called, who is entrusted, either on the date on which this Act comes into force or, as the case may be, under a scheme of management made under section 6 with the management of the affairs of that school;

(n) "managing committee" means the body of individuals which is entrusted with the management of any recognised private school;

(o) "minority school" means a school established and administered by minority having the right to do so under clause (1) of article 30 of the Constitution;

(p) "Notification" means a notification published in the Official Gazette;

(pp) "Official Gazette" means the Dadra and Nagar Haveli Gazette;

(q) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(r) "private school" means a school which is not run by the Central Government, Administrator or any other authority designated or sponsored by the Central Government or Administrator;

(s) "public examination" means an examination conducted by the Central Board of Secondary Education, Council for School Certificate Examinations or the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education or any other Board recognised by the Administrator or any other officer authorised by him in ths behalf;

(t) "recognised school" means a school recognised by the appropriate authority;

(u) "Secretary, Education" means an officer authorised by the Administrator to perform function under this Act;

(uu) "school" includes a pre-primary, primary, middle, secondary and higher secondary school, and also includes any other institution which imparts education or training below the degree level, but does not include an institution which imparts technical education;

(v) "school property" means all movable and immovable property belonging to, or in the possession of, the school and all other rights and interests in, or arising out of, such property, and includes land, building and its appurtenances, playgrounds, hostels, furniture, books, apparatus, maps, equipment, utensils, cash, re-serve funds, investments and bank balances;

(w) "teacher" includes the Head of a school;

(x) "Tribunal" means the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and includes any other officer authorised by him to perform all or anv of the functions of the Tribunal under this Act;

(y) "unaided minority school" means a recognised minority school which does not receive any aid;

(z) "Union territory" means the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

CHAPTER II

Establishment, recognition, affiliation, management of, and aid to Schools

3. Power of Administrator to specify the scales of pay of teachers of unaided schools. - The Administrator shall by notification, specify the minimum scales of pay of the teachers of Schools whether recognised or not.

IndiaCode

4. Power of Administrator to regulate education in Schools. - (1) The Administrator may regulate education in all the schools in the Union Territory in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) The Administrator may establish and maintain any school in the Union Territory or may permit any Society or Trust or local authority to establish and maintain any school in the Union Territory, subject to compliance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) On and from the commencement of this Act and subject to the provisions of clause (1) of article 30 of the Constitution, the establishment of a new school or the opening of a class or section of a class or the closing down of an existing class or any section of an existing class in any existing school in the Union Territory, shall be subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder and any school or class or section established or opened otherwise than in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder shall not be recognised by the appropriate authority.

5. Recognition of Schools. - (1) The appropriate authority may, on an application made to it in the prescribed form and in the prescribed manner, recognise any school:

Provided that no school shall be recognised unless—

(a) it has such funds to ensure its financial stability which regulate payment of salaries and allowances and other benefits to its employees as prescribed;

(b) it has a scheme of management as required by section 6;

(c) it has suitable or adequate accommodation and sanitary facilities having regard, among other factors, to the number, age and sex of the pupils attending it;

(d) it provides for approved courses of study and efficient instructions;

(e) it has teachers with prescribed qualification;

(f) it has the prescribed facilities for physical education, library service, laboratory work, workshop practice and co-curricular activities; and

(g) it gives an undertaking that it will follow the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) Every application for recognition of a school shall be entertained and considered by the appropriate authority and the decision thereon shall be communicated to the applicant within a period of four months from the date of the receipt of the application and where recognition is not granted, the reasons for not granting such recognition shall also be communicated to the ap plicant within the said period.

IndiaCode

(3) Where the managing committee of a school obtains recognition by fraud, misrepresentation or suppression of material particulars, or where, after obtaining recognition, the school fails to continue to comply with any of the conditions specified in the proviso to sub-section (1), the authority granting the recognition may, after giving the managing committee of the school a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, withdraw the recognition granted to such school under sub-section (1).

(4) The recognition granted under sub-section (1) shall not, by itself, entitle any school to receive aid.

(5) Every existing school which is receiving aid as on the date of coming into force of this Act shall be deemed to have been recognised under this section and every such school shall

be subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder :

Provided that where any such school does not satisfy any of the conditions specified in the proviso to sub-section (1), the prescribed authority may, by order, require the school to satisfy such conditions and such other conditions as may be prescribed within the period specified in the order and if any such condition is not satisfied within the period so specified, recognition may be withdrawn from such school;

Provided further that where any recognised school does not, at the commencement of this Act, satisfy any of the conditions specified in the proviso to sub-section (1), the prescribed authority may, by order, require the school to satisfy, within the period specified therein such conditions and such other prescribed conditions as may be specified in the order and if any such condition is not satisfied within the period so specified recognition may be withdrawn from such school.

6. Scheme of Management. - Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any such law, the managing committee of every recognised school shall make, in accordance with the rules made under this Act a scheme of management for such school;

Provided that in the case of a recognised school which does not receive any aid, the scheme of management shall apply with such variations and modifications as may be prescribed.

7. Aid to recognised schools. - (1) Any authority specified in clause (c) of section 2 may grant, out of the funds made available to it for the purpose, after due appropriation made by law as aid to recognised schools such sums of money as it may consider necessary;

Provided that no existing school receiving aid, immediately before the commencement of this Act, shall be eligible for continuance of such aid unless it complies with, within such period as may be specified by the aforesaid authority, the conditions specified in the proviso to sub-section (1) of section 5 and the rules made under this Act relating to the grant or continuance of such aid.

(2) The authority competent to grant the aid may stop, reduce, or suspend aid for violation of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no such aid shall be stopped, reduced or suspended unless on a reasonable opportunity of showing cause against such stoppage, reduction or suspension has been given to the management.

(3) The aid may cover such part of the expenditure of the schools as may be prescribed.

(4) No payment, out of the aid given for salary, allowance and provident fund of employees of the school, shall be made for any other purpose.

(5) No unrecognised school shall be eligible to receive any aid or any benefit made available to recognised schools by the authority specified in clause (c) of section 2.

8. Affiliations. - (1) For the purpose of any public examination every recognised higher secondary school shall be affiliated to one or more of the Board or Council conducting such examinations and shall fulfil the conditions specified by the Board or Council in this behalf:

Provided that no Board or Council conducting any public examination shall affiliate any school unless such school has been recognised under this Act and such recognition is in force.

IndiaCode

(2) The students of recognised higher secondary schools shall be prepared for, and presented to, the public examinations or such other form of evaluation held or made for the students of such schools.

(3) Save as otherwise provided in sub-section (2), the students of every recognised schools shall be -

(a) prepared for, and presented to, such public examination as may be held by the Directorate or any other officer or authority specified by the Administrator, or

(b) subjected to such internal evaluation or assessment as may be prescribed.

CHAPTER III

School Property

9. School Property. - (1) The Management of every aided school shall maintain in the prescribed form a proper record of its property and such record shall be kept for inspection at the time of regular schools inspection.

(2) No aided school shall transfer any property if, by such transfer, any of the facilities referred to in the proviso to sub-section (1) of section 5 is likely to be prejudicially affected.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no transfer, mortgage or lease of any movable or immovable property of an aided school, not being the property specified in rules, shall be made except with the previous permission of the appropriate authority:

Provided that where the appropriate authority omits or fails to dispose of the application for such permission within sixty days from the date of receipt of the application in this behalf the permission shall, on the expiry of the said period of sixty days, be deemed to have been granted.

(4) Any transaction made in contravention of the provisions of sub-section (3), shall be void.

10. School Fund and School Staff Account Fund. - (1) In every aided school, there shall be two Funds to be called, respectively, the "School Fund" and the "School Staff Account Fund".

(2) There shall be credited to the School Fund,

(a) any aid (other than maintenance grant) granted under section 7 ;

(b) income other than income from fees accruing to the school;

(c) any other contributions, endowments and the like.

(3) There shall be credited to the School Staff Account Fund,

(a) the aid granted by the Administrator by way of maintenance grant;

(b) income accruing to the school by way of fees.

(4) The School Fund and all other funds, including the Pupils' Fund, established with the approval of the Administrator, shall be accounted for and operated in accordance with the rules made under this Act.

(5) In every recognised unaided school, there shall be a fund, to be called the "Recognised Unaided School Fund", and there shall be credited thereto income accruing to the school,-

(a) by way of fees or other charges,

(b) save as otherwise provided in clause (a), charges and payments which may be realised by the school for other specified purposes, and

(c) any other contributions, endowments, gifts and the like.

(6)(a) income derived by unaided schools by way of fees or other charges shall be utilised only for such educational purposes as may be prescribed; and

(b) save as otherwise provided in clause (a) charges and payments realised and all other contributions, endowments and gifts received by the school shall be utilised only for the specific purpose for which they were realised or received.

(7) The managing committee of every recognised private school shall file every year with the Director such duly audited financial and/other returns as may be prescribed, and every such return shall be audited by such authority as may be prescribed.

CHAPTER IV

Terms and conditions of service of employees of recognised private schools

11. Terms and conditions of service of employees of recognised private schools. - (1) The Administrator may make rules regulating the recruitment, minimum qualifications for recruitment, and the conditions of service of employees of recognised private schools:

Provided that neither the salary nor the rights in respect of leave of absence, age of retirement and pension of an employee in the employment of an existing school at the commencement of this Act shall be varied to the disadvantage of such employee:

Provided further that every such employee shall be entitled to opt for the terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Act.

(2) Subject to any rules that may be made in this behalf, no employee of an aided school shall be dismissed, removed, reduced in rank, compulsorily retired or his service otherwise terminated except with the prior approval of the Director.

(2a) Where the managing committee of an unaided minority school is satisfied that immediate action against an employee of unaided minority school is necessary by reason of the gross misconduct within the meaning of the Code of Conduct prescribed under section 12, of the employee, it may dismiss, remove, reduce in rank ,compulsorily retire or otherwise terminate his

service and shall intimate the action taken by it to the Director within fifteen days from the date of the action so taken.

(3) Where the managing committee of a recognised private school intends to suspend any of its employees, such intention shall be communicated to the Director and no such suspension shall be made except where a disciplinary proceeding is contemplated or pending, and except with the prior approval of the Director:

Provided that no such suspension shall remain in force for a period exceeding six months, which may, with the prior approval of the Director and for reasons directly attributable to the teacher and recorded in writing, be extended by a further period of three months at a time:

Provided further that the managing committee may suspend an employee with immediate effect and without the prior approval of the Director if it is satisfied that such immediate suspension is necessary by reasons of the gross misconduct, within the meaning of the Code of Conduct prescribed under section 12, of the employee or where a case against him in respect of any criminal offence involving moral turpitude is under investigation, enquiry or trial:

Provided also that no such immediate suspension shall remain in force for more than a period of fifteen days from the date of suspension unless it has been communicated to the Director and approved by him before the expiry of the said period.

(4) Where the intention to suspend, or the immediate suspension of, an employee is communicated to the Director, he may, if he is satisfied after hearing both the parties ~~—~~ that there are adequate and reasonable grounds for such suspension, accord his approval to such suspension.

IndiaCode

(4a) Where an employee is suspended in violation of sub-sections (3) and (4), or the rules made thereunder, the Director may direct for revocation of the order of suspension.

12. Employees to be governed by a Code of Conduct.- (1) Every employee of a recognised school shall be governed by such Code of Conduct as may be prescribed and on the violation of any provision of such Code of Conduct, the employee shall be liable to such disciplinary action as may be prescribed.

(2) The Code of Conduct shall prescribe, among other things, that no employee shall,

(a) neglect his duties in teaching or curricular activities;

(b) propagate anti-national, communal, caste or sectarian outlook;

(c) make discrimination among the students;

(d) indulge in malpractices connected with examination;

(e) be irregular in attending the school;

(f) accept any object of remunerative character from any source;

(g) prepare or publish any book known as keys or guides;

(h) engage himself as selling agent of any publishing firm;

(i) indulge in political activities within the school premises or incite the students in violent activities;

(j) raise funds without the sanction of the Director;

(k) enter into monetary transactions with the students or parents.

13. Salaries of employees. - The scales of pay and allowances, pension, gratuity, provident fund and other prescribed benefits of the employees of a recognised private school shall not be less than those of the employees of the corresponding status in schools run by the Administrator;

IndiaCode

Provided that where the scales of any pay and allowances, pension, gratuity, provident fund and other prescribed benefits of the employees of any recognised private school are less than those of the employees of the corresponding status in the schools run by the Administrator, the Director shall direct, in writing, the managing committee of such school to bring the same up to the level of those of the employees of the corresponding status in schools run by the Administrator:

Provided further that the failure to comply with such direction shall be deemed to be non-compliance with the conditions for continuing recognition of an existing school and the provisions of section 5 shall apply accordingly :

Provided also that in each recognised school, which does not receive any aid, there shall be a Fund, to be called "the Employees Retirement Benefit Fund", and there shall be credited to that Fund every contributions made by the school and the employees towards retirement benefits.

14. Omitted.

CHAPTER V

Provisions applicable to unaided minority schools

15. Power to prescribe minimum qualifications for recruitment. - The Administrator may make rules regulating the minimum qualificaitons for, and method of recruitment of employees of unaided minority schools :

Provided that no qualification shall be varied to the disadvantage of an existing employee of an unaided minority school.

16. Power to prescribe Code of Conduct. - Every employee of an unaided minority school shall be governed by such Code of Conduct as may be prescribed.

17. Contract of service. - (1) The managing committee of every unaided minority school shall enter into a written contract of service with every employee of such school:

Provided that if, at the commencement of this Act there is no written contract of service in relation to any existing employee of an unaided minority school, the managing committee of such school shall enter into such contract within a period of three months from such commencement:

Provided further that no contract referred to in the foregoing proviso shall vary to the disadvantage of any existing employee the term of any contract subsisting at the commencement of this Act between him and the school.

(2) A copy of every contract of service referred to in sub-section (1) shall be forwarded by the managing committee of the concerned unaided minority school to the Director who shall, on receipt of such copy, register it in such manner as may be prescribed.

(3) Every contract of service referred to in sub-section (1) shall provide for the following matters, namely :-

(a) the terms and conditions of service of the employee, including the scale of pay and other allowances to which he shall be entitled;

(b) the leave of absence, age of retirement, pension and gratuity, or contributory provident fund in lieu of pension and gratuity, and other benefits to which the employee shall be entitled :

(c) the penalties which may be imposed on the employee for the violation of any Code of Conduct or the breach of any term of the contract entered into by him:

IndiaCode

(d) the manner in which disciplinary proceedings in relation to the employee shall be conducted and the procedure which shall be followed before any employee is dismissed, removed from service or reduced in rank;

(e) settlement of any dispute arising out of any breach of contract between the employee and the managing committee with regard to :

(i) the scale of pay and other allowances,

(ii) leave of absence, age of retirement, pension, gratuity, provident fund, and other benefits;

(iii) any disciplinary action leading to the dismissal or removal from service or reduction in rank or imposition of any other punishment on the employee;

(f) any other matter which, in the opinion of the managing committee, ought to be, or may be, specified in such contract.

IndiaCode

CHAPTER VI

Admission to schools and fees

18. Admission to recognised schools. - (1) A child who has not attained the age of five years on or before the 1st day of June of the year in which the admission of such child is sought shall not be admitted to class 1, or an equivalent class or any class higher than class I, in recognised school.

(2) A student seeking admission for the first time in a recognised school in a class higher than class I shall not be admitted to that class if his age reduced by the number of years of normal school study between that class and class I or an equivalent class, falls short of five years.

(3) Admission to a recognised school or to any class thereof shall be regulated by rules made in this behalf.

19. Fees and other charges.- (1)No aided school shall levy any fee or collect any other charge or receive any other payment except those specified by the Director.

(2) Every aided school having different rates of fees or other charges or different funds shall obtain prior approval of the prescribed authority before levying such fees or collecting such charges or creating such funds.

(3) The manager of every unaided recognised school shall, before the commencement of each academic session, file with the Director a full statement of the fees and the charges to be levied by such school with the approval of the Director during the ensuing academic session, and except with the prior approval of the Director, no such school shall charge during the academic session, any fee in excess of the fee specified by its manager in the said statement.

CHAPTER VII

Taking over management of school

20. Taking over management of school.- (1) Whenever the Administrator is satisfied that the managing committee or manager of any recognised school.-

(i) has contravened any provision of this Act or of any rule or order made thereunder, or

(ii) has neglected to perform any duty or obligation imposed on it by or under this Act, or

(iii) has mismanaged the affairs of the school or has misappropriated or has misapplied any money standing to the credit of any Fund of the School, or

(iv) has managed the affairs of the schools in a manner prejudicial to the public interest, or

(v) has omitted or neglected to pay its share towards the medical facility, pension, gratuity, provident fund, and other prescribed benefits of the employees of the school, in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 13, or

(vi) has closed down the school or any class or section of the school in contravention of the rules

made under this Act or any order, direction issued thereunder, or

(vii) has made a written representation expressing its inability to run the school,

and that it is expedient in the public interest or in the interest of school education or in order to secure the proper management of the school to take over the management of such school, he may, after giving the managing committee or the manager of such school a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action, take over the management of such school for a limited period not exceeding three years :

Provided that where the management of a school has been taken over for a period of three years or less, the Administrator may, if he is of opinion that in order to secure proper management of the school it is expedient that such management should continue to be in force after the expiry of the said limited period, he may, from time to time issue directions for the continuance of such management for such period not exceeding one year at a time as he may think fit, so, however, that the total period for which such management is taken over shall not in any case, exceed five years.

(2) Whenever the management of any school is taken over under sub-section (1), every person in charge of the management of such school immediately before its management is taken over, shall deliver possession of the school property to secure proper management to the Administrator or any officer authorised by him in this behalf.

(3) After taking over the management of any school under this section, the Administrator may arrange to manage the school through the Director or any other person or body of persons authorised by the Director in this behalf, subject to such terms and conditions and on such remunerations as he

may specify (hereinafter referred to as the authorised officer or authorised body, as the case may be).

(4) Where the management of any school has been taken over under sub-section (1), the managing committee or manager of such school, may, within three months from the date of taking over, make a representation to the Administrator, who may, after considering the said representation made by the managing committee or the manager pass such order, including an order for the restoration of the management or for the reduction of the period during which the management of such school shall remain vested in the Administrator, as he may deem fit.

(5) Where the management of a school has been taken over under this section, the Administrator shall pay or cause to be paid such rent as may be payable for the building of the school to the person entitled to receive it as was being paid by the managing committee or the manager immediately before the management of such school was taken over.

(6) During such period as any school remains under the management of the authorised officer or the authorised body,-

(a) the service conditions, as approved by the Administrator of the employees of the school who were in employment immediately before the date on which the management was taken over shall not be varied to their disadvantage;

(b) all educational facilities which the school had been affording immediately before such management was taken over, shall continue to be afforded;

(c) the School Fund, the School Staff Account Fund and the Pupils' Fund shall be made available to the authorised officer or authorised body, for being spent for the purposes of the school;

(d) no resolution passed at any meeting of the managing committee of such school shall be given effect to unless approved by the Administrator; and

(e) the authorised officer or the authorised body shall have the right to open any account in any bank or to draw money from any Fund referred to in section 10. No person in charge of the management of the school at any time before the date on which the management of the school is taken over under sub-section (1) shall have such right.

(7) If at any time on the application of the managing committee or manager of the school or otherwise it appears to the Administrator that the purpose for which the management of the school was taken over has been fulfilled or that for any other reason it is not necessary that the school should be continued to be managed by him, he may cancel the order made by him under sub-section (1) and, may restore the management of the school to its managing committee and thereupon the management of the control of the school shall vest in the managing committee.

(8) Whenever the management of any school is taken over by the Administrator under this section, it shall be lawful for him to make such provisions with regard to the scales of pay and other conditions of service, seniority, pension and other retirement benefits of the employees on an equal footing with the employees of similar schools run by the Administrator.

(9) If, on the expiry of the period specified under sub-section (1) or the extended period specified under the proviso to that sub-section, the managing committee does not take over the management of the school, the Administrator shall notwithstanding anything contained in sub-section (1), continue to remain in charge of the management of the school, and he shall, by a notice, require the managing committee to take over the management of the school. If

the Administrator does not, within one month from the date of issue of the said notice, receive any reply thereto, he shall, within fourteen days after the expiry of the month, send to the managing committee of the school, by registered post, another letter, referring to the first letter, and stating that no reply thereto has been received and that if a reply to the second letter is not received within one month of the date of issue thereof, a notice shall be published in the Official Gazette declaring the society, trust or other association of individuals owing or managing the school to be defunct :

Provided that, any time within ten years from the date of publication of the notice in the Official Gazette, any rightful owner of the school comes forward to take over the management of the school and its assets, the Administrator shall transfer the school together with its assets and liabilities to such rightful owner and thereupon the school and its assets and liabilities shall cease to remain vested in the Administrator.

(10) Where the management of an aided school has been taken over by the Administrator, the authority granting such aid shall continue to grant aid to the school.

(11) Where the management of any school had been taken over by the Administrator before the commencement of this Act, and such management was continuing at such commencement, and managing committee of such school has not after such commencement, taken any steps to take over the management of the school from the Administrator, it shall be lawful for the Administrator to continue to manage such school and to grant aid to the school to the full extent admissible under this Act or the rules made thereunder.

21. Section 20 not to apply to unaided minority schools. – Nothing contained in section 20 shall apply to an unaided minority school.

CHAPTER VIII

Appeals and Offences

22. Appeal. - (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an appeal shall lie to the Tribunal from the following orders :

(a) refusing to recognise a school under sub-section (2) of section 5;

(b) withdrawing the recognition of a school under sub-section (3) of section 5;

(c) stopping, reducing or suspending aid under sub-section (2) of section 7;

(d) refusing to grant permission under sub-section (3) of section 9;

(e) dismissing, removing from service any employee or reducing him in rank or retiring him compulsorily or otherwise terminating his services under sub-section (2), (2a), (4) and (4a) as the case may be, of section 11.

(2) Every such appeal shall be preferred within thirty days from the date of communication of the order :

Provided that the Tribunal may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(3) On receipt of any such appeal, the Tribunal shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such enquiry as it deems proper, pass such orders as it may deem fit, after recording the reasons therefor.

23. Offence and punishment. - (1) If the manager of any recognised private school,

(a) omits or fails, without any reasonable excuse, to carry out any order made by the Tribunal, or

IndiaCode

(b) causes or authorises any student to be presented by the school for any public examination without complying with the provisions of section 8, or

(c) omits or fails to deliver any school property to the Administrator or any officer authorised by him under sub-section (2) of section 20, or

(d) contravenes any provision of the Act or any rule made thereunder, or

(e) omits or fails to furnish any information to any inspecting authority or furnishes any information to that authority which is incorrect or false in material particulars, or

(f) omits or fails to produce any book, register or other document to the inspecting authority, or

(g) prevents any inspecting authority from entering into the premises of the school or from conducting any inspection or inquiry, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both

(2) No prosecution shall be instituted under this section, except on a complaint made by the Director or any person authorised by him in this behalf.

CHAPTER IX

Miscellaneous

School Education Advisory Board

24. Advisory Board. - (1) There shall be constituted an advisory board to be called the Dadra and Nagar Haveli School Education Board (hereinafter referred to as the

Advisory Board) for the purpose of advising the Administrator on matters of policy relating to education in the Union territory.

(2) The composition of the Advisory Board shall be as follows, namely :-

(a) the Secretary Education, ex-officio;

(b) three persons, who are the heads of recognised private schools;

(c) three representatives of organisations of teachers of recognised private schools;

(d) three representatives of the managements of recognised private schools;

(e) the Director, who shall be the Secretary to the Advisory Board;

(f) the Principal of the Polytechnic in the Union territory;

(g) two members of the District Panchayat of the Union territory;

(h) two eminent educationists;

(i) two representatives of the parents and guardians of the students of recognised private schools; and

(j) two representatives of the students of recognised private schools.

(3) The Secretary, Education shall be the Chairman of Advisory Board and the members referred to in clauses (b), (c), (d), (h), (i) and (j) of sub-section (2) shall be nominated by the Administrator.

IndiaCode

(4) The Advisory Board shall regulate its own procedure.

(5) The term of office of every member of the Advisory Board and travelling and other allowances payable to a member of the Advisory Board shall be such as may be prescribed.

25. Delegation of Powers. - (1) The Administrator may delegate all or any of his powers, duties and functions under this Act or under any rules made thereunder to the Director or any other Officer subordinate to him.

(2) Every person to whom any power is delegated under sub-section (1), may exercise that power in the same manner and with the same effect as if such power had been conferred on him directly by this Act and not by way of delegation.

26. Inspection of Schools. - (1) Every recognised school shall be inspected at least once in each financial year in such manner as may be prescribed.

(2) The Director may also arrange special inspections of any school on such aspects of its working as may, from time to time, be considered necessary by him.

(3) The Director may give directions to the manager requiring the manager to rectify any defect or deficiency found at the time of inspection or otherwise in the working of the school.

(4) If the manager fails to comply with any direction given under sub-section (3), the Director may, after considering the explanation or report, if any, given or made by the manager, take such action as he may think fit, including, -

(a) stoppage of aid,

(b) withdrawal of recognition, or

(c) except in the case of an unaided minority school, taking over of the school under section 20.

27. Jurisdiction of Civil Courts barred. - No Civil Court shall have jurisdiction in repsect of any matter in relation

to which the Administrator or the Director or any other person authorised by the Administrator or Director or any other officer or authority appointed or specified by or under this Act, is empowered by or under this Act to exercise any power, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act

28. Protection of action taken in good faith. - No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Administrator, Director or any other person authorised by the Administrator or Director for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

29. Power to make rules. - (1) The Administrator may, subject to the condition of previous publication, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely :-

(a)the manner in which education may be regulated by the Administrator in the Union Territory;

(b) the conditions which every existing school shall be required to comply;

(c) establishment of a new school or the opening of a higher class or the closing down of an existing class in an existing school;

(d) the form and manner in which an application for recognition of a school shall be made;

(e) the facilities to be provided by a school to obtain recognition;

IndiaCode

(f) the manner in which, and the authority to which an appeal against the refusal or withdrawal of recognition shall be made;

(g) the minimum qualifications for, and method of recruitment and the terms and conditions of service of employees;

(h) the authorities to be specified for the purposes of the different provisions of this Act;

(i) the particulars which a scheme of management shall contain, and the manner in which such scheme shall be made;

(j) variations and modifications which may be made in the scheme of management for a recognised school which does not receive any aid;

(k) the conditions under which aid may be granted to recognised schools, and on the violation of which aid may be stopped, reduced or suspended;

(l) the part of the expenditure of a recognised school which is to be covered by aid;

(m) particulars of school property which should be furnished to the appropriate authority;

(n) the form in which, and the time within which, an appeal shall be preferred against an order made in relation to the transfer mortgage or lien of any school property;

(o) the Code of Conduct for the employees and the disciplinary action to be taken for the violation thereof;

(p) the benefits which should be granted to the employees of recognised private schools;

(q) admission to a recognised school;

(r) fees and other charges which may be collected by an aided school;

(s) the manner of inspection of recognised schools;

(t) the term of office, travelling and other allowances payable to the members of the Advisory Board;

(u) financial and other returns to be filed by the managing committee of recognised private schools, and the authority by which such returns shall be audited;

(v) educational purposes for which the income derived by way of fees by recognised unaided schools shall be spent;

(w) manner of accounting and operation of schools funds and other funds of a recognised private school;

(x) fees, not exceeding one rupee, for preferring any appeal under this Act;

(y) any other matter which is to be, or may be prescribed under this Act.

30. 'Power to remove difficulties. – If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Administrator may by order not inconsistent with the provisions of this Act remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.

[F. No. U-11015/4/93-UTL-(187)]
P. K. JALALI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997